आदेश

[illegible]/2000-01 अंचल अधिकारी तिसरी के द्वारा न्यायालय में भेजा [illegible] इस वाद में बलदेव साव [illegible] अपीलार्थी हैं तथा जागेश्वर साव सा० साख विपक्षी हैं । इस वाद में विभिन्न तिथियों को अपीलार्थी एवं प्रतिपक्षी को नोटिस भेजा गया । नोटिस तामिला के बाद दिनांक 6-2-01 को बहस की तिथि निर्धारित किया गया । निर्धारित तिथि 6-2-01 को बहस में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस में कहा कि मौजा घंघरीकला के खाता नं० 19 प्लौट नं० 391 रकबा 6.00 एकड़ भूमि की मांग प्रसादी साव के नाम से चल रहा है । इस वाद में बलदेव साव प्रसादी साव का बेटा है । दिनांक 23-5-01 को बहस में अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि पुरानी राजस्व पंजी II के पृष्ठ सं० 69 में खाता नं० होल्डिंग नं० 19/2 [illegible] प्रसादी साहु पिता निरो साहु सा० [illegible] जमीन घंघरीकला में 6 एकड़ की जमाबंदी माल दो रुपया चार आना अंकित कियागया है । जमाबंदी वर्ष 1960-61 से खींचा गया है जबकि नई राजस्व पंजी II के वर्ष 1971-72 के पृष्ठ सं० 228 में मौजा घंघरीकुशा के खाता नं० 19/2 में रैयत प्रसादीसाहु वगैरह पिता निरो साव साकिन साख अंकित है । इसमें कुल रकबा 6 एकड़ माल दो रुपया 25 पैसा अंकित है। अपीलार्थी की ओर से कहा गया कि पुरानी पंजी में प्रसादी साव ~~वगैरह~~ पिता निरो साव अंकित था जबकि नई पंजी में प्रसादी साव वगैरह गलत प्रविष्टि किया गया है । इस प्रकार भूमि हड़पने के प्रयास से कर्मचारी के मिलजुल कर वगैरह अंकित किया गया है ।

अपीलार्थी के वकील ने जोर देकर कहा कि किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना ही पृष्ठ सं० 228 में प्रसादी साव वगैरह लिखा गया है । इस प्रकार उनके नाम से बन्दोवस्त की गई भूमि को गलत ढंग से वगैरह लिखकर हिस्सेदार बनना चाहते हैं ।

अंचल अधिकारी तिसरी को आदेश दिया जाता है कि इस संदर्भ में राजस्व पंजी II मौजा घंघरीकुशा की जमीन्दारी उन्मूलन के पुरानी राजस्व पंजी एवं नई राजस्व पंजी II न्यायालय में प्रस्तुत करें ।

अपीलार्थी की ओर से बहस में कहा गया कि मौजा घंघरीकुशा के खाता नं० 19 प्लौट नं० 391 रकबा 6 एकड़ भूमि भूतपूर्व जमीन्दार टिकैत विरेन्द्र नारायण के द्वारा प्रसादी साव अपीलार्थी के पिता के नाम से दिनांक 18-11-1941 को स्टाम्प पेपर के साथ बन्दोबस्त की गई बन्दोवस्ती के पश्चात प्रसादी साव के द्वारा भूतपूर्व जमीन्दार को लगान भुगतान के पश्चात जमीन्दारी उन्मूलन के बाद सरकार को लगान रसीद भुगतान किये और दखल कब्जा प्राप्त किये । बाद में भूतपूर्व जमीन्दार के मरने के पश्चात टिकैतनी अईना कुमारी पत्नी स्व० विरेन्द्र नारायण सिंह के द्वारा जमीन्दारी रिटर्न जमा किया गया जिसमें प्रश्नगत उपरोक्त [illegible] प्रसादी साव के नाम से दिखाया गया है । इस प्रकार पुरानी

5/03/03

5/03

रसीद निर्गत किया गया । प्रसादी साव के मरने के पश्चात उनका पुत्र बलदेव साव ने लगान भुगतान किया एवं लगान रसीद प्राप्त करने लगा । बाद में बलदेव साव ने इसी खाता एवं प्लौट को 0.32 डी0 भूमि पन्दैया देवी एवं 0.04 डी0 भूमि बदरी महतो को बिक्री किया । इसके पश्चात बची 6.00 एकड़ में से बची हुई भूमि 5.64 एकड़ की जमाबंदी अकेले उनके नाम से कायम होकर लगान रसीद निर्गत होता रहा था । तत्पश्चात प्रसादी साव वगैरह नहीं जोड़ा गया था । बाद में कर्मचारी ने बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के वगैरह जोड़ा गया जो गलत है । इस वाद में द्वितीय पक्ष जमीनदार के द्वारा भी हुकुमनामा की छाया प्रति प्रस्तुत किया जो स्थानीय ठीकेदार चुनचु मांझी के द्वारा प्रसादी साव लुट्टु साव पेशरान निरो साव से प्रदत्त है । द्वितीय पक्ष के नाम से जमीन्दारी रिटर्न का प्रति प्रस्तुत नहीं किया दोनों पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि एक ही भूमि का दावा दोनों पक्ष करते हैं एवं आपस में एक ही वंश से आते हैं । इस वाद में बहस के समय अपीलार्थी ने पुरानी राजस्व पंजी II प्रस्तुत किया । इसके हाल्डिंग नं0 12/2 में प्रसादी साहु के नाम से होल्डिंग नं0 12/2 में रकबा 6 एकड़ भूमि को मांग कायम है । इसकी जमाबंदी 55-56 से कायम है एवं लगान रसीद 27-1-96 तक वसूली किया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि जमाबंदी प्रसादी साव के नाम से अकेले खोली गई है, इसमें किसी दूसरे का हिस्सा नहीं होता है । इस सन्दर्भ में जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात क्षतिपूर्ति अभिलेख सं0 22/60-61 में भी खाता नं0 12/2 मांग 2=25 पैसा रोकड़ एक आना तीन पाई कुल दो रुपया पांच आना तीन पाई दिखाया गया है जो भूतपूर्व जमीन्दारी श्रीमती किंतनी आईन कुमारी मौजा डोरण्डा के द्वारा जमा किया गया है । इसमें हाल्डिंग नं0 12/2 में प्रसादी साव वगैरह नहीं लिखा गया है । इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी बलदेव साव के पिता प्रसादी साव के नाम से बन्दोबस्त की गई भूमि एक मात्र अधिकार उनका बनता है । प्रतिपक्षी की ओर से बहस में कहा गया कि एक पंचायतीनामा द्वितीय पक्ष के द्वारा बनाये जाने के सम्बन्ध में कहा गया । इस स्थानीय पंचायतीनामा का कोई वैधिक मान्यता नहीं है । अपीलार्थी ने इसे नहीं माना । विवादित भूमि प्रसादी साव के पिता निरो साव के नाम से हासिल है जो द्वितीय पक्ष के पिता लुट्टु साव के बड़े भाई थे ।

अंचल अधिकारी ने अपने आदेश में लिखा है/ रहा कि [illegible] हेराफेरी का प्रश्न है वर्तमान पंजी II में प्रसादी साव के [illegible] की जिल्द दो नम्बर है एवं जिस का पृष्ठ [illegible]

[illegible]

सही पत्थाल्ड। अोनार्थ के अधिवक्ता ने कहा कि उक्त रकबा 6.00 एकड़ मधे 0.32 डी० भूमि मंडिया देवी एवं 0.04 डी० भूमि बद्री महतो को बिक्री किया। इस प्रकार कुल रकबा 6.00 एकड़ में 0.36 डी० घटाने पर 5.64 एकड़ भूमि शेष रह जाता है।

बिक्री करने के पश्चात वर्त्तमान रकबा जो प्रसादी साव के नाम से होल्डिंग नं० 19/2 प्लौट नं० 39। रकबा 5.64 एकड़ भूमि को सही पाकर जमाबंदी कायम रहने का आदेश दिया जाता है एवं प्रसाद साव वगैरह के नाम को सुधार कर जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं० 228 में केवल प्रसादी साव पिता निरो साव के नाम से कायम रहने का आदेश दिया जाता है। द्वितीय पक्ष जागेश्वर साव के दावा को अस्वीकृत किया जाता है।

अंचल अधिकारी तिसरी को आदेश दिया जाता है कि पारित आदेश के आलोक में जमाबंदी का संशोधन करें तथा मौजा घंघरीकुरा के होल्डिंग नं० 19/2 प्लौट नं० 39। रकबा 5.64 एकड़ भूमि का लगान रसीद आवेदक के पिता प्रसादी साव पिता निरो साव के नाम ~~कायम~~ ~~रसीद~~ निर्गत करें।

लिखापित

(हस्ताक्षर)
5/03/03
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह।

(हस्ताक्षर)
5/03/03
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह।

Seen
6/3/03

Seen
A.K. Ambastha
22/3/03